न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर अलवर राज0

पीठासीन अधिकारी :— पंकज बडगूजर (R.A.S.)

प्रार्थनापत्र	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
39 / 2022	28.07.2022	**21.11..2022**

// उनवान //

1 रणवीर पुत्र रिसालसिंह जाति जाट निवासी अजीजपुर तहसील मुण्डावर जिला हाल निवासी धनकोट बसई जिला गुरूग्राम हरियाणा।

2 सत्यवान पुत्र रिसालसिंह जाति जाट निवासी अजीजपुर तहसील मुण्डावर हाल निवासी धनकोट बसई जिला गुरूग्राम हरियाणा।

:— प्रार्थीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

:— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र— अन्तर्गत धारा 136
एल.आर.एक्ट।

उपस्थितिः— श्री भूपेश चौधरी — वकील प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक— 21.11.2022

आज यह प्रार्थनापत्र पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील प्राथीगण उपस्थित आये। प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र का सारतः रहा कि वाके ग्राम अजीजपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के हाल आराजी ख0नं0 144 / 0.39 का साबिक 134 / 0.39 व 137 / 0.1, 138 / 2.63 का साबिक 129 / 2.64 व 139 / 1.49 का साबिक 130 / 1.49 व 140 / 0.01 व 141 / 0.81 का साबिक 131 / 0.82 व 142 / 0.38 का साबिक 132 / 0.38 व 225 / 0.01, 226 / 0.13 का साबिक 203 / 0.14 व 228 / 0.44 का साबिक 205 / 0.44 व 417 / 0.17 का साबिक 372 / 0.16 व 710 / 0.19 का साबिक 632 / 0.19 व 692 / 0.03 का साबिक 617 / 0.03 व 693 / 0.01 का साबिक 618 / 0.1 व 694 / 0.04 का साबिक 619 / 0.4 व 695 / 0.04 का साबिक 620 / 0.04 व 699 / 0.12 का साबिक 624 / 0.12 है0 भूप्रबंध विभाग द्वारा पैमूद किये गये है [illegible] कहलायेगी एवं मिनप्रार्थीगण रणवीर, सत्यवान पुत्रान रिसालसिंह नि[illegible]जपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल निवासी धनकोट [illegible] वाले है। उक्त विवादित आराजीयात प्रार्थीगण के पिता रिसालसिंह व मात [illegible] की खरीदशुदा आरा[illegible] है जिनकी फौतगी पर जरिये विरासत इन्तकाल प्राप्त [illegible]राजी है। मुताबिक विरा[illegible] इन्तकाल मिनप्रार्थी संख्या 01 का नाम विवादित आराजीयात के बाबत रणवीर पुत्र रिसालसिंह की जगह राजवीर पुत्र रिसाल व रघुवीर पुत्र रिसाल के नामों का अंकन कर दिया तथा मिनप्रार्थी सं0 02 का नाम सत्यवान पुत्र रिसालसिंह की जगह सत्यभान पुत्र

उपखण्डाधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:38:38 IST
Reason: SelfAttested

रिसालसिंह कर दिया। जिससे आराजीयात में प्रार्थीगण का नाम अलग–अलग होने से प्रार्थीगण को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा के.सी.सी. लॉन, बिजली कनेक्शन लेने आदि से भी वंचित हो रहे है तथा ना ही अपनी उक्त आराजी को कही भी रहन,बय,दान रिलीज आदि ही कर पा रहे हैं। अंकित करते हुये प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर सही नाम अंकन कराये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार ने हाजिर अदालत आकर प्रकरण नाम शुद्धि का है अंकन करते हुये जवाब की आवश्यकता नहीं अंकित कर हस्ताक्षर किये।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल हाल जमाबंदी सम्वत् 2071–78 किता 06, नकल जमाबंदी 2066–69 किता 05, नकल मिलान क्षेत्रफल किता 05 एवं पहचान के दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचानपत्र की छाया प्रतियों के साथ–साथ शपथपत्र रणवीर पुत्र रिसालसिंह एवं सत्यवान पुत्र रिसालसिंह के पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि उक्त विवादित आराजीयात प्रार्थीगण के माता व पिता की खरीदशुदा आराजी होकर उनकी फौतगी पर जरिये विरासत प्राप्त हुई है लेकिन प्रार्थी सं0 01 का नाम विवादित आराजीयात के बाबत रणवीर पुत्र रिसालसिंह की जगह राजवीर पुत्र रिसाल व रघुवीर पुत्र रिसाल के नामों का अंकन कर दिया तथा प्रार्थी सं0 02 का नाम सत्यवान पुत्र रिसालसिंह की जगह सत्यभान पुत्र रिसालसिंह दर्ज रिकॉर्ड कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल हाल जमाबंदी सम्वत् 2071–78 किता 06, नकल जमाबंदी 2066–69 किता 05, नकल मिलान क्षेत्रफल किता 05 एवं पहचान के दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचानपत्र की छाया प्रतियों के साथ–साथ शपथपत्र रणवीर पुत्र रिसालसिंह एवं सत्यवान पुत्र रिसालसिंह के भी प्रस्तुत कर दिये हैं जिसके आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्पष्ट रूप से साबित है ऐसी स्थिति में आराजीयात के बाबत प्रार्थीगण का नाम अलग–अलग होने से प्रार्थीगण को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा के.सी.सी. लॉन, बिजली कनेक्शन लेने आदि से भी वंचित हो रहे है तथा ना ही अपनी उक्त आराजी को कही भी रहन,बय,दान रिलीज आदि ही कर पा रहे हैं अभिकथन करते हुये प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाकर हाल राजस्व रिकॉर्ड में सही नामों के अंकन कराये जाने का निवेदन रहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:38:38 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थीगण की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थीगण के हाल आराजी ख0नं0 144, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 225, 226, 228, 417, 710, 692, 693, 694, 695, 699 वाके ग्राम अजीजपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजीयात के बाबत हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी सं0 01 के नाम राजवीर पुत्र रिसाल एवं रघुवीर पुत्र रिसालसिंह के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उनके स्थान पर रणवीर पुत्र रिसालसिंह के नाम का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा इसी अनुसार प्रार्थी सं0 02 के नाम सत्यभान पुत्र रिसालसिंह के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उसके स्थान पर सत्यवान पुत्र रिसालसिंह नाम का अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को निर्णय प्रति के साथ अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक **21.11.2022** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

21-11-2022

(पंकज बडगूजर)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर अलवर, राज0

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2023.07.21 12:38:38 IST
Reason: SelfAttested